बिहार सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

संoसंo–5 / विविध–20–08 / 2015 पार्ट–   दिनांकः–   /   / 2023

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–713(3) दिनांक–26.10.2023 द्वारा अस्थायी स्थानापन व्यवस्था के तहत निदेशक प्रमुख स्तर में विहित वेतन मान (वेतन स्तर–14) अस्थायी स्थानापन कार्यकारी प्रभार तीन चिकित्सा पदाधिकारियों को दिये जाने के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा के इन तीन पदाधिकारियों के बीच कार्यहित में निम्नरूपेण कार्य आवंटित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम	प्रभारी पदनाम	कार्यवंटन
01	डा0 (श्रीमती) निहारिका शरण,	निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण) एवं निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारामेडिकल)	प्रशाखा–04, 11 तथा 12 के प्रथम स्तर के पदाधिकारी (ख) कौशल विकास मिशन की संचिका अपर मुख्य सचिव को उपस्थापित करने का दायित्व
02	डा0 सुनील कुमार झा,	निदेश्क प्रमुख (परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग)	प्रशाखा–06 के प्रथम स्तर के पदाधिकारी (ख) CMRF अन्तर्गत चिकित्सा अनुदान हेतु गठित अधिकृत समिति की बैठका का अध्यक्षता (ग) CMRF से स्वीकृत राशि का चेक निर्गत करने हेतु डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (कार्यवाह) के साथ संयुक्त रूप से प्राधिकृत (घ) BMSICL तथा SHSB में तकनीकी मूल्यांकन समिति, वित्तीय निविदा समिति, तकनीकी क्रय समिति (आवश्यक औषधियों / उपकरणों हेतु) एवं विभिन्न प्रकार आंतरिक निविदा आदि के निष्पादन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष / सदस्य / अन्य के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत
03	डा0 नरेन्द्र नारायण राय,	निदेशक प्रमुख (प्रशासन)	चिकित्सा संबंधी प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने / रखने एवं प्रत्यारोपन विनियमित करने हेतु प्राधिकृत करने वाले समिति की बैठक की अध्यक्षता (ख) बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत पदाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र पर हस्ताक्षर / प्रतिहस्ताक्षर तथा विभाग से संबंधित नवाचार आदि कार्य हेतु प्राधिकृत (ग) आपदा प्रबंधन से संबंधित संचिकाओं को उच्च स्तर

			पर उपस्थापित करने का दायित्व (घ) विभाग में पदस्थापित निदेशालय स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों के यात्रा भत्ता विषयों तथा डी0सी0 विपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने का दायित्व (ङ) राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड (कैदी/बंदी या प्रशाखा–14 के अधीन अन्य मामलों में) की अध्यक्षता का दायित्व

2– पदाधिकारियों की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए निम्न प्रकार लिंक पदाधिकारी बनाये जाते हैं। एक पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में दूसरे पदाधिकारी उनका कार्य देखेंगे :–

पदाधिकारी का नाम	लिंक पदाधिकारी का नाम
डा0 निहारिका शरण, निदेशक प्रमुख	डा0 सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख
डा0 सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख	डा0 निहारिका शरण, निदेशक प्रमुख
डा0 नरेन्द्र नारायण राय, निदेशक प्रमुख (प्रशासन)	डा0 सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख

3– पूर्व में निर्गत कार्यावंटन से संबंधित कार्यालय आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5– प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं०सं०–5/विविध–20–08/2015 पार्ट– 1394 (5) दिनांकः–07/11/2023

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी निदेशक प्रमुख/निदेशक, आर्युवेद/होमियोपैथ/यूनानी /राज्य औषधि नियंत्रक/सभी अपर निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।